क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–200/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री हंसराज जाट, श्री संजय जाट एवं श्रीमती सुवा खनन पटटा संख्या 48/2021 ग्राम नायकी** द्वारा नायकी एवं केकड़ी ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
1	श्री हंसराज जाट, श्री संजय जाट एवं श्रीमती सुवा खसरा संख्या 534 एवं 538	48/2021	1.4003	नायकी	ग्रेनाईट	110275 टीपीए (आर.ओ.एम.) (ग्रेनाईट 60651.25 टीपीए एवं वेस्ट 49623.75 टीपीए)
2	श्री रामकिशन गुर्जर	16/2018	1.0038	केकड़ी	ग्रेनाईट	110074 टीपीए
3	श्री बालु माली	38/2018	1.3373	केकड़ी	ग्रेनाईट	240000 टीपीए
4	मैसर्स शान्ति नाथ ग्रेनाईट एवं मिनरल्स	46/2018	1.6245	नायकी	ग्रेनाईट	245260 टीपीए
5	श्री रामेश्वर जाट	41/2018	1.1603	केकड़ी	ग्रेनाईट	261370 टीपीए
6	श्री संजय मित्तल	67/2018	1.0134	नायकी	ग्रेनाईट	78792 टीपीए
7	श्री राधेश्याम लोधा	114/2018	1.6238	केकड़ी	ग्रेनाईट	187380 टीपीए
8	मैसर्स मरूधर ग्रेनाईट	10/2010	1.0	केकड़ी	ग्रेनाईट	50097 टीपीए
9	मैसर्स जी.डी. ग्रेनाईट	11/2010	1.0	केकड़ी	ग्रेनाईट	35868 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 11.1634 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1269492.25 टीपीए, ग्राम नायकी एवं केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री हंसराज जाट, श्री संजय जाट एवं श्रीमती सुवा खनन पटटा संख्या 48/2021 ग्राम नायकी** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2022/12048 दिनांक 23.09.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 07/11/2022** को **प्रातः11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी